

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

नये विद्युत सम्बन्ध (स्थायी/अस्थायी) के लिए/स्वीकृत भार बढ़ाने अथवा घटाने/नाम परिवर्तन (स्वामी वही)/कनेक्शन ट्रांसफर (स्वामित्व का परिवर्तन)/वर्तमान कनेक्शन शिफ्ट करने/वर्तमान कनेक्शन की श्रेणी में परिवर्तन इत्यादि के लिए आवेदन एवं अनुबन्ध प्रपत्र
(10 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर)

सहायक अभियन्ता ()
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
.....।

1. आवेदक का नाम पिता/पति का नाम
-
2. पूरा पता
-
-
3. टेलीफोन नं. मोबाईल नं.
-
- ई-मेल
-
4. कनेक्शन की श्रेणी 1. घरेलू 2. अघरेलू (दुकान, कार्यालय, होटल, मन्दिर, अस्पताल, स्कूल, धर्मशाला हेतु) 3. कृषि 4. लघु उद्योग
4. मध्यम उद्योग 6. मिश्रित भार 7. सार्वजनिक रोशनी
5. 8. वृहत् उद्योग
5. आवेदक की स्थिति 1. मकान मालिक 2. किरायेदार 3. कब्जेदार
6. आवेदक का प्रकार
 - (i) नया विद्युत संबन्ध किलोवाट/हा.पा./के.वी.ए. स्थाई अस्थायी
 - (ii) भार वृद्धि/घटाना खाता सं. किलोवाट/हा.पा.से किलोवाट/हा.पा./संविदा मांग केवीए सेकेवीए
 - (iii) वर्तमान कनेक्शन खाता सं. शिफ्टिंग हेतु .. सेको
 - (iv) वर्तमान कनेक्शन खाता सं.का नाम परिवर्तन से को

- (v) श्रेणी परिवर्तन खाता सं.के श्रेणी में परिवर्तन हेतुश्रेणी सेश्रेणी में।
- (vi) वर्तमान कनेक्शन खाता सं.जो कि श्री के नाम से है उसेट्रांसफर करने हेतु।
7. बैंक खाते का विवरण खाता सं.बैंक का नाम एवं शाखा (ऐच्छिक)
(पास बुक के प्रथम व अन्तिम लेन-देन के पृष्ठ की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करें।)
8. संलग्न दस्तावेजएल फार्म/शपथ पत्र किरायेदार कब्जेदार होने पर अनुबन्ध पत्र अथवा क्षतिपूर्ति का पत्र मकान मालिक होने पर प्रमाण हेतु दस्तावेज
(नाम/श्रेणी परिवर्तन में आवश्यकता नहीं)
- पहचान प्रमाण-पत्र.....
- तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र (कृषि कनेक्शन के लिए)
- (मुखिया का राशन कार्ड/झाईविंग लाइसेंस/मतदाता का पहचान पत्र/आयकर पेन कार्ड)
9. मीटर स्वामित्व आवेदक का अजमेर वितरण निगम का
10. मैंने आवेदन/अनुबन्ध प्रपत्र के पीछे सभी शर्तें पढ़ एवं समझ ली हैं; इन सभी शर्तों में तथा "विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबन्धन (TCS) की अन्य शर्तों से मैं सहमत हूँ।" इस प्रार्थना पत्र में कोई भी गलत सूचना देने पर अनुबन्ध हट सकता है, यदि विद्युत सम्बन्ध दे दिया गया है तो इस आधार पर विद्युत सम्बन्ध काटा जा सकता है। मैं अपने विद्युत फिटिंग की स्वयं सुरक्षा एवं देख-रेख करूँगा और सुरक्षा नियमों का पालन करूँगा।
- | | |
|---------------------|--------------------|
| साक्षी के हस्ताक्षर | आवेदक के हस्ताक्षर |
| नाम | नाम |
| पता | पता |
| | |
| दिनांक | दिनांक |

कार्यालय उपयोग हेतु :- आवेदक द्वारा जमा कराई गई राशि (सहायता हेतु पीछे क्रम संख्या 1 व 2 देखें)

1. प्रार्थना पत्र शुल्क
-
2. स्टाम्प ड्यूटी शुल्क
-

3. मीटर बाक्स कीमत
-
4. मीटर सुरक्षा राशि
-
5. विद्युत उपभोग सुरक्षा राशि
-
6. अग्रिम राशि
-
7. अन्य
-

योग.....

आवेदन भरने हेतु सहायक जानकारी

आवेदन/अनुबन्ध के क्रम संख्या 6 (i) में (आवेदित सम्बद्ध भार की गणना निम्नानुसार करें)

क्र.सं.	भार का वर्णन	संख्या	वाटेज	कुल वाटेज
1	2	3	4	5=(3x4)
1	बल्ब/फेन/लाईट प्लग (5 एम्पीयर)		60 वॉट	
2	ट्यूब लाईट		40 वॉट	
3	टेलीविजन कलर / श्याम श्वेत		100 वॉट	
4	पावर प्लग (15 एम्पीयर)		500 वॉट	
5	फ्रिज/कूलर		250 वॉट	
6	गीजर		1500 वॉट	
7	एयर कंडीशनर 1 टन/1.5 टन		1500/2200 वॉट	
		कुल योग		

2. आवेदन/अनुबन्ध प्रपत्र के क्रम में।

प्रार्थना पत्र शुल्क –

1. एल.टी. सप्लाइ सिंगल फेज 200/– रु. थ्री फेज 500/–
कृषि. 75/– रु. ग्रामीण 250/– रु शहर
एच.टी./ई.एच.टी सप्लाइ 11 के.वी. सप्लाइ 1000/– रु.

33 के.वी. सप्लाई 2000/- रु.

132 के.वी. 4000/- रु.

220 के.वी. 4000/- रु.

2. स्टाम्प ड्यूटी रु. 10/- (किरायेदार/कब्जेदार होने पर स्टाम्प शुल्क 100/- अतिरिक्त देय होगा नॉन) ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर रु 10/- एवं किराएदार/कब्जेदार होने पर नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर रु 100/- का अतिरिक्त
3. मीटर बॉक्स कीमत सिंगल फेज मीटर रु. 350/-
थ्री फेज राशि रु. 950/- रु.
4. मीटर सुरक्षा राशि सिंगल फेज मीटर रु. 350/-
थ्री फेज राशि रु. 650/-
5. सुरक्षा राशि (प्रोविजनल) मकान मालिक हेतु-घरेलू 100/- रु. प्रति कि.वा., अघरेलू 200/- रु. प्रति कि.वा. किरायेदार/कब्जेदार हेतु - उपरोक्त की दो गुणा राशि।
6. अग्रिम राशि कृषि कनेक्शन हेतु - 2500/- रु.
ग्रामीण क्षेत्र, 5000/-
शहरी क्षेत्र, 250/- रु.
एससी/एसटी ग्रामीण क्षेत्र।
7. सर्विस कनेक्शन शुल्क
घरेलू - कच्ची बस्ती - 2000/- रु. अन्य क्षेत्र 3000/- रु. ग्रामीण क्षेत्र 1500/- रु. ग्रामीण नॉन आबादी क्षेत्र 3500/- रु. ट्राइबल सब प्लान 750/- रु.
अघरेलू - 1 कि.वा. भार तक 3000/- 1 कि.वा. भार से ऊपर 5 कि.वा. तक 4000/-, 5 कि.वा. से ऊपर 10 कि.वा. तक 6000/-, 10 कि.वा. से ऊपर अतिरिक्त पर 250/- रु. प्रति कि.वा.
नोट :- 1. नये कनेक्शनों के अतिरिक्त अन्य आवेदन पर प्रार्थना पत्र पर शुल्क देय नहीं है।
2. भार घटाने, वर्तमान कनेक्शन शिफ्टिंग कनेक्शन परिवर्तन (ट्रांसफर) हेतु (पूर्व कनेक्शन कर्ता द्वारा सहमति होने पर) सुरक्षा राशि देय नहीं है।
3. दस्तावेज संलग्न करें - परिवर्तन स्थान के स्वामित्व के दस्तावेज की प्रति।
1. एल फार्म परिसर में बिजली की फिटिंग विद्युत अधिनियम 2003 के अनुरूप है का सर्टिफिकेट लाइसेंसधारी/मान्यता प्राप्त ठेकेदार का मान्य है ग्रामीण क्षेत्र हेतु शपथ पत्र मान्य है।

2. आवेदक के किरायेदार/कब्जेदार होने पर संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज का प्रारूप – मकान मालिक द्वारा हस्ताक्षर कर दिये जाते हैं तो अनुबन्ध पत्र संलग्न करना होगा अन्यथा क्षतिपूर्ति बंध पत्र संलग्न करना होगा।

अनुबन्ध-पत्र

(10 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर)

यह प्रमाणित किया जाता है मैंने यह (स्थान का पूर्ण विवरण) जो कि नगर परिषद/अन्य स्थानीय निकाय में स्थित है मैसर्स/..... श्री निवासी को किराये पर दे दिया है तथा उक्त भवन में विद्युत कनेक्शन देने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस बात की गारन्टी देता हूँ कि जब भी किरायेदार, मकान/दुकान/..... खाली करेगा तो इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखूँगा कि निगम की राशि बकाया न रहे। ऐसा न होने की स्थिति में मैं स्वयं निगम की बकाया रकम का देनदार रहूँगा।

हस्ताक्षर किरायेदार

साक्षी (1)

हस्ताक्षर मकान मालिक

क्षतिपूर्ति बंध पत्र

(100 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर)

जैसा कि मैं पुत्र/पत्नि श्री उम्र वर्ष निवासी ने सहायक अभियन्ता अ.वि.वि.नि. के कार्यालय में विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया है। जैसा कि अ.वि.वि.नि. ने उक्त स्थित मकान/दुकान को मेरे द्वारा अपेक्षित विद्युत कनेक्शन के लिए मकान/दुकान की सहमती मांगी है।

जबकि मैं मकान/दुकान सहमती पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ चूंकि अ.वि.वि.नि. ने इस सम्बन्ध में मुझ से लिखित वचन चाहा है अगर मैं और मकान/दुकान मालिक के मध्य इस विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में अगर किसी न्यायालय के समक्ष विवाद उत्पन्न होता है तो निगम इस मामले में शामिल नहीं होगा फिर भी निगम को इस कारण हुई किसी भी प्रकार की क्षति/खर्चों की क्षतिपूर्ति करने का

मैं वचन देता हूँ। अतः यह अनुबन्ध मकान/दुकान मालिक की बिना सहमति के निगम द्वारा मुझे उक्त परिसर में कनेक्शन दिए जाने हेतु साक्ष्य किया जाकर मैं वचन देता हूँ कि निगम को इस सम्बन्ध में हुए वादकरण के कारण हुई सभी प्रकार की हानियां/क्षतियां एवं खर्च की क्षतिपूर्ति का वचन देता हूँ।

स्थान	साक्षी का नाम	(निष्पादक के हस्ताक्षर)
दिनांक	पता	

प्रमाण पत्र तहसीलदार (कृषि कनेक्शन)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती
सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री जाति
ग्राम/शहर के निवासी है तथा कुआ इसके
.....ग्राम के भू राजस्व क्षेत्र में स्थित है उसके कुए का राजस्व अभिलेख के
अनुसार ख.न. है और खेती के कार्य उपयोग में लिया
जाता है। इस कुए खेत के मालिक स्वयं ही हैं।

ह. पटवारी	हल्फा नं.	ह. तहसीलदार
-----------	-----------	-------------